डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अप्रैल, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 अप्रैल, 2024

| वर्ष 67 | अंक 22 | भोपाल | 16 अप्रैल, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान/सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर मिलेगी अनुग्रह राशि

चुनाव ड्यूटी की अवधि चुनाव घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक होगी

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं, जो प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं।

आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी चुनाव संबंधी कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए निवास/कार्यालय छोड़ते ही चुनाव ड्यूटी पर होना माना जायेगा, जब तक वह अपने कार्य प्रदर्शन के बाद अपने निवास/कार्यालय वापस

नहीं पहुंच जाता। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो इसे चुनाव ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जायेगा।

बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियरों के लिए, प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) ड्यूटी की अवधि और वह अवधि जिसके लिए अधिकारी को कमीशनिंग, मतदान/मतगणना व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, को चुनाव ड्यूटी अवधि में माना जाएगा।

अनुग्रह राशि

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण मौत होती है, तो 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि कर्मचारी के परिजन को मिलेगी।

इसके अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपये और गंभीर चोट के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता, जैसे अंग की हानि, आंख की दृष्टि, आदि के मामले में 7.5 लाख रुपये दिये जायेंगे। अनुग्रह राशि का भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा उसके मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत पहले से ही भुगतान किए जा रहे मुआवजे और राज्य सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अन्य मुआवजे के अतिरिक्त होगा। अनुग्रह राशि का भुगतान बिना किसी अनावश्यक देरी के शीघ्र किया जाएगा।

कैशलेस इलाज

आयोग ने चुनाव में शामिल ऐसे सभी कर्मियों के लिए अत्याधुनिक अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। उपचार में तेजी लाने और देरी से बचने के लिए, चुनाव की घोषणा तक अस्पतालों के साथ अग्रिम रूप से व्यवस्था/टाई-अप कर पीड़ितों को कैशलेस सुविधाएं दी जा सकती हैं।

मध्यप्रदेश में मतदान दिवस के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

भोपाल : मध्यप्रदेश में लोकसभा के चुनाव के लिये 4 चरणों में मतदान होना है। राज्य शासन ने प्रत्येक चरण के मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार, द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार, तृतीय चरण का मतदान 7 मई 2024 मंगलवार और चतुर्थ चरण का मतदान 13 मई 2024 सोमवार को होगा। संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश का दिन होगा।

अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज भोपाल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पंन्न

भोपाल। अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज भोपाल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक दिनांक 05 अप्रैल 2024 को अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव सहकारिता एवं प्रशासक अपेक्स बैंक द्वारा की गई। स्टैंडिंग कमेटी बैठक में श्री मनोज कुमार सरियाम रजिस्ट्रार, सहकारिता श्री मनोज गुप्ता प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, श्री कमर जावेद, महाप्रबंधक नाबार्ड एवं श्रीमती अरुणा दुबे, प्राचार्य ट्रेनिंग कॉलेज उपस्थित हुए। बैठक के पश्चात अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

नवाचार अंतर्गत नवनियुक्त नोडल अधिकारियों की कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल। सहकारिता में नवाचार लाने के लिए प्रदेश स्तर पर नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। विभाग के संयुक्त आयुक्त विमल श्रीवास्तव को नवाचार प्रकोष्ठ का संयोजक व श्री तुमुल सिन्हा को नवाचार प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। आयुक्त सहकारिता द्वारा प्रदेश भर में नवाचार कार्य हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ती की गई है। विभाग द्वारा नवनियुक्त नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल में किया गया जिसमें प्रदेश भर के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। एक दिवसीय कार्यशाला में सहकारिता में नवाचार के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। नव नियुक्त पंजीयक श्री मनोज कुमार सरियाम द्वारा प्रशिक्षण में ऑनलाइन/ ऑफ लाइन उपस्थित नोडल अधिकारियों से नवाचार के सम्बन्ध में चर्चा की गई एवं सरकार की मंशा अनुसार नवाचार किये जाने हेतु सुझााव दिये। भारत सरकार के ''सहकार से समृद्धि'' पायलेट प्रोजेक्ट के तहत सहकारी संस्थाओं (पेक्स) को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदेश एवं जिले में सहकारी विकास समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन किया गया है।

प्रशिक्षण में श्री तुमुल सिन्हा नवाचार कक्ष प्रभारी द्वारा नोडल अधिकारियों को नवाचार का रोड एक्शन प्लान बताया तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवाचार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के उप संचालक गौरव कुमार शाक्य द्वारा विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। संयुक्त आयुक्त श्री विमल श्रीवास्तव संयोजक नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा नवाचार पर नोडल अधिकारियों से चर्चा कर संस्थाओं को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वित्तीय सहायता दिलवाने पर जोर दिया गया। संयुक्त आयुक्त श्री ऋतुराज रंजन अध्यक्ष नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा नवाचार की संभावनाओं पर नोडल अधिकारियों से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में 26 जिलों के नोडल अधिकारियों द्वारा भाग लिया और जो जिन जिलों के नोडल अधिकारी चुनाव में ड्यूटी के कारण प्रशिक्षण में नही आ सके उन सभी ने ऑनलाइन जुड़ कर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

नोडल अधिकारी अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर जिले में पर्यटन व चन्देरी हस्तशिल्प का चयन किया गया है। विभाग द्वारा नये क्षैत्रों में सहकारी संस्थाऐं बनाकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रुप में कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि उप्ताद आधारित व्यवसाय करने वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। सहकारी संस्था के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाऐगा साथ ही हर संभव मदद की जाएगी। नवाचार के अर्न्तगत गठित समितियों की नोडल अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी जिससे संस्था के कारोबार में संभावित कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अलग अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ दिलवाया जाऐगा। नोडल अधिकारियों द्वारा संस्था के पंजीयन से लेकर संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था द्वारा प्रारम्भ किए व्यवसाय में सहयोग किया जाएगा। नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की पंजीयन कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाऐंगे।

कार्यक्रम के सत्र समन्वयक श्री संतोष येडे द्वारा प्रशिक्षण का संचालन किया गया। प्रशिक्षण में श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, राज्य संघ, श्री ए.के. जोशी, पूर्व प्राचार्य, श्री गणेश मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, श्री विनोद कुशवाह, श्री मो.शाहिद, प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री धनराज सैंदाणे का विशेष सहयोग रहा।

भोपाल जिले के मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल : लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिये भोपाल जिले की सभी विधानसभाओं के मतदान कर्मियों के लिए एक साथ दो-दो सत्रों में प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण संबंधित जनपद पंचायत के नियत स्थल पर दो-दो सत्रों में संचालित हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आठ स्थानों पर एक साथ प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ।

भोपाल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने प्रशिक्षण में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशित किया कि चुनाव प्रक्रियाओं की बारीकियों को समझें। निर्वाचन संबंधी तमाम जिज्ञासाओं के समाधान के बाद ही प्रशिक्षण हॉल छोड़े। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में हुई गलती क्षम्य नहीं होगी।

श्री ऋतुराज सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक बिन्दु के संबंध में लिखित निर्देश जारी किए गए है जिसका अध्ययन कर शत प्रतिशत पालन कराया जाना है। उन्होंने सम्पूर्ण निर्वाचन कार्य टीम वर्क की भावना से करने पर बल देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदानकर्मी की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी रखी जाती है। किसी एक की गलती से जिले की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। किन्ही भी परिस्थितियों में हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक है।

श्री सिंह ने कहा कि मतदान दल की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में मतदान दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके लिए मतदान दलों को निर्वाचन प्रक्रिया से भली भांति अवगत होना आवश्यक है। मतदान के पूर्व की तैयारियों से लेकर मतदान दिवस तथा मतदान का समय समाप्त होने के पश्चात मतपत्र लेखा तैयार करनें की जानकारी तक से अवगत होना आवश्यक है। मतदान दल में तैनात सभी शासकीय सेवक ईव्हीएम संचालन का पर्याप्त अभ्यास कर लें।

प्रशिक्षणार्थियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दल के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, पोलिंग एजेंटों की मतदान केंद्र पर नियुक्ति, मतदान केंद्र पर एक दिन पूर्व होने वाली कार्यवाही, मतदान के पूर्व की तैयारी एवं मॉक पोल, मतदान की पूर्व तैयारी एवं मॉक पोल, मॉक पोल का क्रम, मॉक पोल के दौरान मशीनों का परिवर्तन, मॉक पोल के पश्चात मशीनों की सीलिंग, वास्तविक मतदान प्रारंभ, मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिये अनुमति धारक व्यक्ति, मतदान केंद्र पर मतदाताओं के प्रवेश का विनिमय, मतदान केंद्र और आस-पास निर्वाचन विधि का प्रवर्तन, मतदान प्रक्रिया, मतदान के दौरान की विशेष स्थितियां, बैटरी का विस्थापन, विस्थापन, व्हीव्हीपीएटी पेपर स्लिप पर गलत प्रिंट, मतदान समाप्ति पर कार्यवाही, निर्वाचन अभिलेख तैयार करना एवं पैकिंग, किंग, बुकलेट प्रपत्र, आदि की जानकारी दी गई। इसके अलावा पीठासीन अधिकारियों को भी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

पुस्तक समीक्षा

सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग-1 एवं भाग-2

भोपाल। सहकारिता कल्याणकारी व्यवस्था का सबसे सफल प्रजातांत्रिक स्वरूप है। इस व्यवस्था में देश, प्रदेश के सभी परिवार इस आस्था के साथ जुड़े है कि इस प्रजातांत्रिक कल्याणकारी व्यवस्था के फल बिना किसी भेदभाव के सबको सुलभ होगें। मध्यप्रदेश राज्य में सहकारी आन्दोलन यद्यपि सफलता का पर्याय तो नहीं कहा जा सकता है, परन्तु सफलता की यात्रा में कुछ क्षेत्र काफी आगे तो कुछ क्षेत्र पीछे है।

सहकारिता के हितधारकों में सम्मिलित है –सदस्य गण, ऋण प्रदाता, नियामक, निक्षेपकर्ता, शासन, जनसाधारण एवं संलिप्त मानवसंसाधन। सदस्य गण चाहते है कि उन्हें नियमों की जानकारी हो ताकि वे उत्तरदायित्व के निर्वहन में चूक न करें, ऋण प्रदाता चाहता है कि उसका लगाया धन सुरक्षित रहे, नियामक की अपेक्षा होती है कि संस्थाऐं सदस्यों के हित पोषण में प्रभावी भूमिका निभायें, निक्षेपकर्ता चाहते है कि उनका विनियोजित धन, मांग पर उन्हें वापस मिले, शासन की अपेक्षा होती है कि संस्थाऐं उनकी नीतियों व कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आमजन तक पहुचाऐं, जन साधारण व्यवस्था की अंग तभी बनती है जब उसे लगता है कि संस्थाऐं निष्पक्ष है व लालफीताशाही से दूर है और कर्मचारी चाहता है कि संस्थाऐं ठीक चले ताकि उसकी आजीविका सुरक्षित रहे। परन्तु ये सभी हितधारक इस बात के लिये आश्वस्थ नहीं रहते है कि संस्थाओं का संचालन नियमों की परिधि में हो रहा है अथवा नहीं। इस कमी को रेखाकिंत करते हुए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ ने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है कि सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक इस संदर्भ ग्रंथ का उपयोग आवश्यकतानुसार कर सके। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संस्थाओं एवं सहकारिता विभाग के लिए आवश्यकतानुरूप विभिन्न परिपत्र समय पर जारी कर अपेक्षा की जाती है कि सहकारिता विभाग व संबंधित संस्थाऐं नियमानुकूल संचालित हो। इन परिपत्रों का मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की ओर से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के द्वारा संकलित कर सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग–1 एवं भाग – 2 के नाम से मुद्रित करवाया गया है। भाग–1 में अंकेक्षण विषय से संबंधित 01 मई–1961 से 6 अक्टूबर – 2021 तक के 306 परिपत्र एवं साख विधि से संबंधित 21 दिसम्बर – 1959 से 14 सितम्बर – 2021 तक के 327 परिपत्र प्रकाशित किये गये है। इसी तरह भाग – 2 में आईसीडीपी विषय पर 15 अप्रैल – 1998 से 03 अगस्त – 2010 तक के 30 परिपत्र, विपणन प्रभाग के 13 अगस्त – 2010 से 13 मार्च– 2020 तक के 47 परिपत्र, सांख्यिकी विषय के 20 अक्टूबर – 1962 से 27 मार्च – 2020 तक के 93 परिपत्र, गृह निर्माण विषय पर 04 दिसम्बर– 1989 से 18 दिसम्बर – 2020 तक के 39 परिपत्र, समन्वय द्वारा 31 अक्टूबर– 1974 से 16 दिसम्बर – 2016 तक के 42 परिपत्र, विविध / स्थापना / अन्य द्वारा 29 मार्च– 1938 से 05 मार्च– 2020 तक के 149 परिपत्र, नागरिक बैंकों के लिए 31 अगस्त – 2006 से 01 नवम्बर – 2019 तक के 08 परिपत्र, भूमिविकास बैंकों के लिए 14 सितम्बर – 1970 से 18 अक्टूबर – 2010 तक के 22 परिपत्र, लेखा प्रभाग से संबंधित 01 मई– 1992 से 15 अक्टूबर – 2014 तक के 13 परिपत्र, पंजीयन प्रभाग द्वारा 26 फरवरी – 1996 एवं 06 मार्च– 2002 में जारी 02 परिपत्र निर्वाचन शाखा द्वारा 03 मार्च– 1999 से 02 मार्च– 2020 तक के 06 परिपत्र, सूचना का अधिकार विषय पर 20 जून – 2005 से 02 मार्च – 2020 तक के 12 परिपत्र, योजना शाखा के 29 सितम्बर– 2012 एवं 29 अप्रैल – 2013 के 02 परिपत्र, सीएम हेल्पलाईन विषय पर 30 जुलाई – 2014 से 18 सितम्बर– 2019 तक के 08 परिपत्र, आईटी प्रभाग द्वारा 29 सितम्बर– 2014 से 29 सितम्बर– 2018 तक के 05 परिपत्र, सामान्य शाखा के 22 फरवरी – 2011 से 29 सितम्बर – 2018 तक के 04 परिपत्र, नवाचार के लिए 12 अक्टूबर– 2017 से 29 अक्टूबर–2020 तक जारी 18 परिपत्र एवं सहकारी प्रशिक्षण के लिए नवम्बर–1963 से 13 अक्टूबर 2021 तक के 71 परिपत्र क्रमागत रूप से प्रकाशित किये गये है। इस प्रकार भाग – 1 में 633 एवं भाग – 2 में 571 कुल 1204 परिपत्रों का संकलन सजिल्द प्रकाशित किया गया है। इन संग्रहणीय अंकों का मूल्य क्रमशः रू. 1000, 1000 तक रखा गया है। इस भागीरथ प्रयास के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ बधाई का पात्र है। सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग 1 व 2 सभी सहकारी संस्थाओं एवं सहकारिता विभाग के समस्त कार्यालयों में होना चाहिए ताकि हितधारक सहकारिता विभाग व संम्बंद्ध संस्थाओं के संचालन में त्रुटि रहित कार्य कर सके।

(पी. के. परिहार)
संविदा संकाय सदस्य
आई.सी.एम., भोपाल

नरवाई न जलाएं - खेत में जीवांश बचाएं

सीहोर : कृषि विभाग द्वारा कृषकों में जागरूकता बनायें रखने के लिए कृषि अधिकारी अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों को फसल कटाई के पश्चात गेंहू का ठूठ जिसे नरवाई कहते है नरवाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अवशेष के रूप में अनुपयोगी रह जाता है, जो नवकरणीय ऊर्जा का स्त्रोत होता है। इस तरह के फसल अवशेषों की मात्रा अधिक होती है और इसका आधा हिस्सा घरों एवं झोपड़ियों की छत निर्माण, पशु आहार, ईंधन एवं पैकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। कृषि के विकसित राज्यों में सिर्फ 10 प्रतिशत किसान ही अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं।

तकनीकों की जानकारी के अभाव एवं कुछ किसान जानकारी होते हुये भी अनभिज्ञ बनकर फसलों अवशेषों को जला रहे हैं साथ ही कटाई के उपरांत खेतों में पड़े दाने, गेहूं, चावल जैसी फसलों के डंठल या नरवाई जला देते हैं, जिससे नरवाई ही नहीं जलती बल्कि भूमि के अंदर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव तापक्रम बढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाना न सिर्फ किसानों के लिये हानिकारक है अपितु शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा 05 मार्च 2017 को नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम में 2500 रूपए, दो एकड़ से पांच एकड़ तक 5000 हजार रूपयें एवं पांच एकड़ से अधिक पर नरवाई जलाने में 15 हजार रूपयें का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।

कृषि विभाग ने बताया कि नरवाई को जलाने से प्रकृति, पर्यावरण, भूमि का प्रदूषण तो होता ही है साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याऐ उत्पन्न होती है जैसे मिट्टी की उर्वराशक्ति नष्ट होना, भूमि सख्त होना, भूमि की जल धारण क्षमता में कमी, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम होने के साथ-साथ धरती का तापक्रम बढ़ना, भूसे की कमी, जन-धन जंगलों के नष्ट होना के खतरा बना रहता है। कृषि विभाग द्वारा किसान भाइयों से अपील की है कि उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने की बजायें वापस भूमि में मिला दे। नरवाई भूमि की मिटटी में मिलाने से अवशेष खेतों में सढ़कर मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं। सर्वविदित है कि कार्बनिक पदार्थ ही एक मात्र ऐसा स्त्रोत है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा सतह की कठोरता कम करता है। जल धारण क्षमता एवं मृदा वातन में वृद्धि होती है। मृदा के रासायनिक गुण जैसे उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा की विद्युत चालकता एवं मृदा पी.एच. में सुधार होता है। किसान नरवाई का उपयोग खाद एवं भूसा बनाने में करें। जिसके लिये निम्न कार्य करना आवश्यक है। भूसे डंठल को खेत में ही एम.बी. प्लाऊ से गहरी जुताई कर इसको मिट्टी में दबाये ताकि इससे खाद बन सके।

कृषि विभाग ने बताया कि किसान भाई भूसा मशीन (स्ट्रारीपर) का उपयोग कर सकते है। विशेषक कर कम्बाईन हार्वेस्टर की कटाई के पश्चात गेहूं व धान की फसल में जो लंबे 8-12 इंच भूसे के डंठल खड़े रहते हैं, उसे स्ट्रारी पर मशीन से काट कर भूसा बनाया जाता है। स्ट्रारीपर टैक्टर से चलने वाला यंत्र है इसके द्वारा काटे गयें डंटल भूसे के रूप में यंत्र के पीछे लगी हुई बंद ट्राली में एकत्रित हो जाते है। रिपर चलाने के पश्चात रोटाबेटर चलाकर जुताई करे जिससे जमीन में एकरूपता होती है, भूमि भुर-भुरी होती है, जिससे जुताई करने में आसानी होती है एवं वायु का संचार होता है तथा वर्षा का पानी अधिक से अधिक संचय होता है।

जैविक खेती और सहकारिता

आर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नही होता है। इसमें खाद व कीटनाशक भी जैविक ही इस्तेमाल किये जाते है। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहती है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित नही होता। इससे कृषि लागत घटती है तथा उत्पाद की गुणवत्ता बढती है, जिससे किसानो को अधिक लाभ होता है। केमिकल से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है तथा इससे उपजी फसलो से इंसानो को बीमारियो का खतरा भी रहता है। इसलिये इन केमिकल्स को धीमा जहर कहा जाता है। यही वजह है कि अब लोग धीरे धीरे जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहे है। आधुनिक युग में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर अल्बर्ट हॉवर्ड को आधुनिक जैविक खेती का जनक माना गया है।

भारत में जैविक खेती की शुरूआत का श्रेय डॉक्टर जयपाल आर्य को दिया जाता है जो भाई की कैंसर से मृत्यु होने के पश्चात जैविक खेती की और आकर्षित हुऐं। जैविक खेती में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। अभी तक 1.19 मिलियन किसान भारत में इसके अंर्तगत पंजीकृत हो चुके है। जैविक खेती उपज की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। भारत का पहला शत प्रतिशत जैविक खेती राज्य सिक्किम है तथा लक्षद्वीप पहला केन्द्र शासित प्रदेश है।

भारत सरकार ने जैविक खेती को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा देने के लिये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत जैविक उत्पादो के लिये राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना की मंजूरी दी है। समिति प्रामाणिक जैविक उत्पाद प्रदान करके जैविक कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन करेगी। भारत और विदेशो में ऐसे उत्पादो की मांग और खपत क्षमता का आंकलन करेगी। किफायती लागत पर सुविधा, परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से ब्रांडिंग व विपणन कार्य करेगी। इस समिति का नाम नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एन.सी. ओ.एल.) है। जिसका पंजीकृत कार्यालय गुजरात के आणंद में है। इस समिति के पांच प्रर्वतक है– अमूल, नाफेड, एनसीसीएफ, एनडीडीबी और एनसीडीसी। इसमें एनडीडीबी मुख्य प्रर्वतक है। समिति ने 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत कई उत्पाद लांच किये है। जिन्हे विभिन्न आउटलेट व ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से बेचा जा रहा है। प्राप्त मुनाफे की 50 प्रतिशत राशि किसानो को प्रदान की जाती है।

वैश्विक जैविक उत्पाद बाजार का आकार 10 लाख करोड़ रू. होने का अनुमान है जिसमें भारत का योगदान 27,000 करोड़ रूपये है। एनओसीएल द्वारा एक छत के नीचे सभी जैविक उत्पादो के लिये खुदरा दुकानो का नेटवर्क देश विदेश में शुरू किया है। आने वाले समय में 'भारत ऑर्गेनिक्स' दुनिया के जैविक उत्पाद बाजार में सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा ब्रांड बन जायेगा ऐसी उम्मीद है। सभी पैक्स, एफपीओ और प्रगतिशील किसानो को इस संगठन से जुडकर 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड को मजबूत करना चाहिये तथा इसके माध्यम से खुद को समृद्व बनाना चाहिये।

शिरीष पुरोहि, प्राचार्य
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव

स्तनपान माँ और बच्चा, दोनों के लिये आवश्यक

सीहोर : महिलाएं अपने बच्चों को नियमित स्तनपान कराएं स्तनपान कराने से माँ और बच्चा, दोनों के लिये आवश्यक है। परिवार में माता को दोहरे दायित्वों का निर्वहन करना होता है। स्तनपान एक माँ और उसके बच्चे के लिए आवश्यक होता है। मॉ अपने बच्चे को समुचित स्तनपान करा सके। स्तनपान के लाभ के संबंध में जागरूता बढ़ाने और स्तनपान को प्रोत्साहन देने की गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। सभी गर्भवती माताओं को अपने जन्में बच्चे को तुरन्त स्तनपान कराने के लिए नियमित रूप से जन-जागरूकता बढ़ाई जाए। कॉउंसिलिंग ऑवर के दौरान सभी अस्पतालों में एएनसी ओपीडी और पीडियाट्रिक ओपीडी में आने वाली गर्भवती एवं धात्री माताओं, पीएनसी वार्ड में भर्ती प्रसूताओं और एसएनसीयू, एनवीएसयू, एनआरसी में भर्ती बच्चों की माताओं को स्तनपान संबंधी सभी शासकीय प्रसव केन्द्रों में पदस्थ मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टॉफ, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद माताओं को स्तनपान कराने की समझाइश निरन्तर दी जा रहीं है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि महिलाएं स्तनपान के दौरान मेटरनिटी एवं शिशु वार्ड के स्टॉफ नर्स और पोषण प्रशिक्षक भर्ती माताओं को सरल और रोचक ढंग से स्तनपान संबंधी परामर्श दें। क्विज के माध्यम से भर्ती माताओं का ज्ञानवर्धन करें। शीघ्र स्तनपान एवं 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराने एवं गर्भवती प्रसूता के परिजन को भी बचचे को मॉ स्तनपान सुनिश्चित करें। लेबर रूम के प्रभारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों, महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों को स्तनपान के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिये समझाइश देने की जिम्मेदारी के लिये भी कहा गया है।

ग्रीष्म ऋतु के मौसम में धूप की तपन लू से रहें सावधान

मंडला : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.सी. सरोते ने बताया कि वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान बढ़ती धूप की तपन, लू से सावधानी एवं शरीर को मौसमी बीमारी से बचाव हेतु आमजन को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

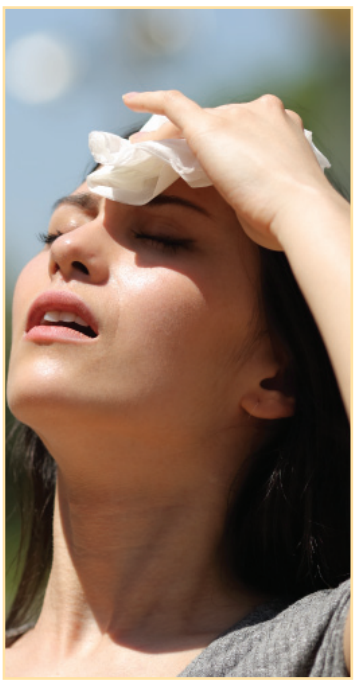

ग्रीष्म ऋत के दौरान क्या करें

घर से बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी अवश्य पियें, धूप में जाते समय सूती कपड़े पहनें और सिर और कान को सूती कपड़े से ढक्कर रखें। धूप में घूमने वाले व्यक्ति नमक शक्करयुक्त कोई तरल पदार्थ या ओ.आर.एस. घोल का अधिक सेवन करें। नीबूपानी, केरी का पना, शिकंजी या मठा अधिक से अधिक पिएं, भरपेट भोजन करके ही बाहर निकलें, हमेशा ताजा भोजन, फल और सब्जियाँ खायें। यथासंभव धूप में अधिक न निकलें।

क्या न करें

धूप में खाली पेट न निकलें शरीर में पानी की कमी न होने दें, बुखार में शरीर का तापमान न बढ़ने दें, ठंडे पानी की पट्टी रखें, कूलर या कंडीशनर से धूप में एकदम न निकलें, मिर्च मसालेयुक्त भोजन न करें, बासी भोजन न खायें।

लू लगने पर

व्यक्ति को फौरन छायादार जगह में लेटायें, ढीले कपड़े पहनें, पेय पदार्थ जीवन रक्षक घोल ओ.आर.एस., कच्चे आम का पना पिलायें एवं ताप घटाने के लिये व्यक्ति के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें एवं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार लें।

जूनोटिक बीमारी, लेप्टोस्पइरोसिस से अलर्ट रहे

दतिया/मुख्य चिकत्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी दतिया ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं भोपाल द्वारा दिये गए निर्देशों के तहत् जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा नोडल अधिकारी को आदेश जारी कर आदेशित किया है कि वह जूनोटिक बीमारी, लेप्टोस्पइरोसिस से अलर्ट रहे। उन्होंने बताया कि यह बीमारी चूहें एवं पशुओं के मूत्र से संक्रमित जल, मिट्टी एवं खाद्य पदार्थो से ज्यादा फैलती है। उन्होंने इस बीमारी के लक्षण एवं बचाव से उपाए भी बनाये है जो कि निम्न प्रकार है। इस बीमारी के लक्षण इस बीमारी के मुख्य लक्षण बुखार, सिरदर्द, मॉसपेशियों में दर्द, आंखों का लाल होना, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, पीलिया, त्वाचा पर चकते, खांसी उपरोक्त लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सक को दिखायें तथा रक्त सीरम को कोल्डचेन मैंटेन करते हुए एनआईआरटीएच जबलपुर भेजे। पीड़ित मरीज एवं उनके परिजनों को दवाई टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 एमजी दिन में दो बार एक सप्ताह तक, चिकित्सक के निगरानी में देवे। बीमारी से बचाव पानी उबालकर अथवा अन्य विधि द्वारा विसंक्रमित करने पीना चाहिए। त्वाचा पर कटने या घाव को जलरोधक पट्टी से ढंकना चाहिए। बारिश के पानी में जिसमें पशुओं के मूत्र से संक्रमित होने की संभावना है, उसमें नहाने, तैरने अथवा सेवन करने से परहेज रखना चाहिए। बारिश के पानी में पशुओं की मूत्र से संक्रमित हुए पानी और मिट्टी में जूते पहन कर कार्य करना चाहिए। चूहों की आबादी बढ़ने से रोकना तथा खाने-पीने की वस्तुओं को उनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए यदि खाद्य पदार्थ चूहों के सम्पर्क में आया हो तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए।

गर्मी एवं लू की संभावनाओं को देखते हुए स्कूलों का समय बदला

खरगोन : जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का तापमान अधिक होने एवं लू की संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों (सीबीएसई, एमपीबीएसई आदि समस्त प्रकार के बोर्ड) के संचालन का समय प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे निर्धारित किया है। परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथावत संचालित रहेगा। यह आदेश विद्यार्थियों के ग्रीष्म अवकाश के आरंभ होने तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

चना, मसूर, राई, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई तक

मंडला : प्र.उपसंचालक किसान कल्याण से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 की उपज चना, मसूर, राई, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई 2024 तक की जाएगी। भारत सरकार द्वारा औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) के चना, मसूर, राई, सरसों को समर्थन मूल्य क्रमशः 5440 प्रति क्विंटल, 6425 प्रति क्विंटल तथा 5650 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जिले में उपार्जन हेतु 3 उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया गया है जिसमें बहुद्देशीय प्राथमिक साखा सहकारी समिति मण्डला उपार्जन स्थल एसडब्ल्यूसी 1245 गोदाम सुभाष वार्ड मण्डला, विपणन सहकारी समिति बिछिया, उपार्जन स्थल एमपीडब्ल्यूएलसी न. 1 गोदाम भुआ बिछिया, विपणन सहकारी समिति नैनपुर उपार्जन स्थल एमपीडब्ल्यूएलसी न. 1 गोदाम नैनपुर शामिल है।

उपज विक्रय हेतु एसएमएस प्राप्त होने का इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कृषक स्वयं उपार्जन केन्द्र एवं उपार्जन दिनांक स्लॉट बुकिंग के माध्यम से कर सकेंगे। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाईल, एम.पी. ऑनलाईन, सी.एस.सी., ग्राम पंचायत, लोकसेवा केंद्र, इन्टरनेट कैफे, उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।

गर्मी में मूंग की खेती लाभदायक

भोपाल: मूँग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसल है। पुरातत्व अध्ययनों के अनुसार भारत में मूँग का उत्पादन 2200 ईसा पूर्व से हो रहा है और संभवत: इसका उद्गम व विकास स्थल भी भारतीय उपमहाद्वीप ही है। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मूंग प्रमुख रूप से उगायी जाने वाली फसल है जो कि शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी करती है। भारत में मूँग प्रमुखत: खरीफ ऋतु में एकफसली अथवा सहफसली खेती के रूप में उगाई जाती है। भारत के कई भागों में बसंत/ ग्रीष्म ऋतु में भी काफी बड़े क्षेत्र में मूँग की खेती की जाती है क्योंकि सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे अच्छी फसल द्वारा लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। कम अवधि की अच्छी किस्मों के बीजों की उपलब्धता भी बढ़ी है। पहले धान के परती क्षेत्रों के किसानों की पहली पसन्द उर्द होती थी, किन्तु हाल के वर्षो में यह जगह धान के परती क्षेत्रों में मूँग ने ले ली है। कम अवधि (60-65 दिन) की नई किस्म के बीजों के विकास, अधिक पैदावार (1.0-1.5 टन/हेक्टेयर) प्रकाश/ऊष्मा के प्रति असंवेदनशीलता, कम अवधि की परिपक्वता और पीला चितेरी रोग के प्रति प्रतिरोधिता आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से विगत दो दशकों में ग्रीष्म ऋतु में मूँग की खेती में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तरी एवं पूर्वी भारत के सिंचित क्षेत्र में नगदी फसल व धान-गेहूं पदधति में विविधीकरण लाने में गुजरात और मध्य प्रदेश के नहर प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्रों में एक बोनस फसल के रूप में तथा तमिलनाडू में कावेरी नदी की घाटी में डेल्टा क्षेत्रों में दो धान फसलों के बीच मध्य फसल के रूप में ग्रीष्म ऋतु में मूँग को एक आदर्श फसल के रूप में बोया जा सकता है। मूँग की खेती की सफलता की वजह से न केवल मूँग का उत्पादन बढ़ा है बल्कि कुपोषण को हराने में, फसल विविधीकरण में, कृषि उत्पादन को बनाये रखने में और भारत के गरीब किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिली है।

बुआई का समय

बसन्त कालीन मूँग की बुआई के लिए मार्च का पहला पखवाड़ा और ग्रीष्म ऋतु में बुवाई के लिए अप्रेल का प्रथम सप्ताह ठीक रहता है। हरियाणा, पश्चिमी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 10 अप्रेल के बाद बुआई से बचना चाहिए क्योंकि उच्च तापमान और गर्म हवाएं मूँग में फूलने की अवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती हैं और अन्तत: पैदावार कम होती है। इसी प्रकार देर से बोयी गयी फसल के परिपक्व होने के साथ ही समय से पूर्व आयी मानसूनी वर्षा पत्तों से संबधित अनेक बीमारियों का कारण बनती है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित ग्रीष्म कालीन मूँग की गेहूँ और सरसों के साथ की गयी बुआई काफी सफल रही। जबकि देर से की गयी मूँग की बुआई (15 अप्रेल के बाद) के समय तापमान काफी ऊँचा रहता है और ग्रीष्म ऋतु की ऊष्मा और शुष्कता फूलों और फलियों को विपरीत रूप से प्रभावित करती है।

प्रक्षेत्र की तैयारी- क्यारी की तैयारी उचित रूप से की जाये तो बीजों का अंकुरण और फसल का जमाव भली प्रकार से होता है। 2-3 जुताई के बाद यदि सुहागा फेर दिया जाये तो बोये जाने वाली क्यारी खरपतवार और ढ़ेलों से मुक्त हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्व की फसल की कटाई के बाद जुताई और बुआई से पूर्व एक सिंचाई अवश्य कर दें। ग्रीष्मकालीन मूँग गेहूं की कटाई के बाद बिना जुताई के भी बोयी जा सकती है। यदि खेत में गेहूं के अवशेष न हों तो जीरो टिल ड्रिल से बुआई की जा सकती है। यदि गेहूं की कटाई के तुरन्त बाद ही ग्रीष्मकालीन मूँग की बुवाई करनी हो तो गेहूँ के अवशेषों की उपस्थिति में भी हैप्पी सीडर द्वारा बुआई की जा सकती है। जीरो टिलेज द्वारा समय, ऊर्जा और धन तीनों ही बचाये जा सकते है। रेतीली मिट्टी में जिसमें दीमक के प्रकोप की सामान्यत: संभावना रहती है वहाँ पर प्रक्षेत्र तैयारी के अन्तिम सरण में 5 प्रतिशत कार्बारिल चूर्ण मिलाया जाना चाहिये। कीटों के प्रकोप को कम करने के लिये मिट्टी में फोरेट ओरॉल्डीकर्ब 10 किग्रा प्रति हेक्टेअयर की दर से मिला देनी चाहिये।

मध्यम से भारी मृदा में ग्रीष्म कालीन मूँग की बुआई बेड प्लांटर से पहले से तैयार क्यारी में 67.5 सेमी की दूरी पर करनी चाहिये। (37.5 सेमी. बेड टॉप, 30 सेमी. फरो)। प्रत्येक क्यारी में दो पंक्तियों में मूँग की बुआई करनी चाहिये पंक्तियों के बीच की दूरी 20 सेमी. रखें। बीज एवं उर्वरक की दर और अन्य सभी बुआई फसल से सम्बन्धित कार्य उसी प्रकार करें जैसे कि समतल भूमि में बुआई के लिये करते हैं। सिंचाई कूंडों में करें व ध्यान रहे कि क्यारियों में अत्यधिक पानी न भरने पाये। ऐसा करने से समतल बुआई की तुलना में लगभग 20-30 प्रतिशत अधिक उपज ली जा सकती है।

फसल ज्यामिती व बीज दर- बीजों को 4-5 सेमी. की गहराई में बोना चाहिए। मूँग में बीज अंकुरण की दर सामान्यत: 75-80 प्रतिशत होती है अत: सिंचित अवस्था में 4,00,000 पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने की अनुशंसा की जाती है। जिसके लिए बसन्त/ग्रीष्म मूँग की फसल के लिये 20-30 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

बीज उपचार- मृदा व बीज जनित रोगों की रोकथाम और बेहतर उपज प्राप्त करने के लिये बीज को कवक रोधी जैव रासायनों राइजेबियम और फास्फोरस घुलित जीवाणु (पी.एस.बी.) से उपचारित किया जाना चाहिये। मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिये बीज को 5-10 किग्रा. ट्राइकोडर्मा (1&108 सीएफयू/ग्राम.) अथवा 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बोन्डाजिम प्रति किग्रा. की दर से उपचारित करें। बीज उपचार के बाद उपचारित बीज में राइजोबियम कल्चर मिला दें। 10 किग्रा बीज क लिये 1 पैकेट (250 ग्राम) राइज़ोबियम कल्चर पर्याप्त होता है। राइजोबियम कल्चर के बीज उपचार से जड़ों में गाँठें अधिक बनती हैं, 10-15 उपज में वृद्धि होती है और अगली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा भी कम लगती है। राइज़ोबियम कल्चर ग्रीष्म कालीन मूँग के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस मौसम में प्राकृतिक सुक्ष्माणुओं संख्या भी कम ही रहती है। 10 किग्रा. बीज में 250 ग्राम राइजोबियम (स्थानीय स्ट्रेन को प्राथमिकता दें) आधा लीटर पानी व 50 ग्राम मोलास भलीभाँति मिलायें। बुआई बुआई से पूर्व उपचारित बीज को छाया में 2-3 घंटे के लिये सुखा लेना चाहिये।

उर्वरकों की आवश्यकता- मूँग की फसल में अधिक मात्रा में नत्रजन आधारिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मूँग स्वयं काफी मात्रा में नत्रजन स्थिरीकरण कर लेती है।

उर्वरक प्रबंधन

सिंचित अवस्था में, फॉस्फोरस की कमी युक्त मृदा में फॉस्फेट युक्त उर्वकों की आवश्यकता होती है। गेहूँ की कटाई के पश्चात् ग्रीष्मकालीन मूंग के लिये बुआई के समय 10 कि.ग्रा. नत्रजन और 45 कि.ग्रा. फॉस्फोरस का प्रयोग करें। जिप्सम 200 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने पर कैल्शियम और सल्फर का प्रयोग कम मात्रा में किया जा सकती है। सामान्यत: 100 कि.ग्रा. डी.ए.पी. एक हेक्टेयर के लिये काफी होता है किन्तु उर्वकों का प्रयोग मृदा परीक्षण पर आधारित संस्तुतियों के अनुसार ही करने की सलाह दी जाती है।

सिंचाई- ग्रीष्मकालीन मूंग सिंचित अवस्था में उगायी जाने वाली फसल है। क्योंकि मूंग जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है अत: तुलनात्मक रूप से ढ़ालयुक्त और लेजऱ लेवल प्रक्षेत्र को ही मूंग की फसल के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रक्षेत्र में सिंचाई के उपरान्त तुरन्त ही जल का निकास ढ़ाल के झुकाव की तरफ कर देना चाहिये। यह जरूरी है कि फलियों में दाना पडऩे के समय सावधानी पूर्वक सिंचाई का प्रबन्ध किया जाये क्योंकि पानी की अधिक मात्रा फसलों के पकने की अवस्था को विलम्बित कर सकती है मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार सामन्यत: ग्रीष्मकालीन मूंग में 3-4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 20-25 दिन और दूसरी सिंचाई 10-15 दिन के पश्चात् कर देनी चाहिये।

नाशीजीवों का समेकित प्रबन्धन

मूँग में रोग तथा नाशीजीव न केवल फसल को हानि पहुँचाते हैं, अपितु दानों की गुणवत्ता भी खराब करते हैं। मूँग के नाशजीवों के प्रभावी विनाश के लिए समेकित प्रबंधन विधियाँ अपनायें।

बुवाई के लिए अवरोधी किस्मों का ही चयन करें। इससे रोगों एवं कीटों से बचाव हेतु रसायनों के प्रयोग पर आने वाले खर्च से बचा जा सकता है।

भूमि की गहरी जुताई, समय से थोड़ा पहले बुवाई, खरपतवारों को न पनपने देना तथा समय से सिंचाई करने से नाशीजीवों को पनपने तथा फलने-फूलने का अवसर नहीं मिलता है। द्य रोमिल इल्लियों द्वारा अण्डे झुण्ड में दिये जाते हैं। अत: इसके प्रथम तथा द्वितीय इन्स्टार समूह में पाये जाते हैं। इन्हें इकट्ठा करके नष्ट कर दें। साथ ही रोमिल इल्लियों के विरूद्ध प्रकाश प्रपंच अधिक प्रभावी पाये गये हैं। द्य पीत चितेरी विषाणु रोग को हतोत्साहित करने हेतु रोगरोधी अथवा रोग सहिष्णु प्रजातियों का चयन करें। द्य चूसने वाले नाशीजीवों से बचाने के लिए कीट नाशकों से बीजोपचार करें। द्य फली भेदकों से रक्षा हेतु सर्वांगी, दानेदार कीटनाशकों का प्रयोग करें। द्य गेलूरेसिड बीटिल, डिफोलिएटर तथा फली भेदकों से बचाव हेतु पर्यावरण सुरक्षित कीटनाशकों का प्रयोग करें।

कटाई, मड़ाई एवं भण्डारण

फसल की जब 75-80 प्रतिशत फलियाँ पक जायें तो हंसिया की सहायता से कटाई कर लें तथा फसल को एक दो दिन के लिये खेत में ही सूखने के लिये छोड़ दें। विलम्ब से कटाई करने पर फलियाँ चटक जाती हैं।

कटाई के पश्चात मड़ाई करें तथा दानों को तब तक धूप में सुखायें जब तक उसमें नमी 12 प्रतिशत से कम रह जाये। तत्पश्चात दानों को स्वच्छ एवं सूखे स्थान पर भण्डारित करें। उपरोक्त विधि का प्रयोग करने पर किसान मूँग एवं उर्द की अच्छी फसल उगा सकते हैं तथा प्रति हेक्टेयर 12-14 क्विंटल तक उपज प्राप्त कर सकते हैं।

अनुशंसित किस्में

केएम-2195 स्वाती, आईपीयू-1026, 11-02, 13-01, गंगा-8, टीजेएन-3, पीकेवीएकेएम-4, आईपीएम-205-7 (विराट), 410-3 (शिखा), टीजेएम-37, पीडीएम-139, हम-16, 12, पूसा-95-31, जेएम-731, पूसा विशाल, एसएमएल-668, सुकेती

उन्नतशील प्रजातियाँ

किसी भी फसल की अधिक से अधिक उपज लेने के लिये प्रजाति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी प्रकार मूँग की फसल से भी अधिक उपज प्राप्त करने के लिये उत्तम प्रजाति का चुनाव करना चाहिये। जो प्रजातियाँ कम समय में पककर तैयार हो जाती है उन्हें ही प्रयोग में लाना चाहिये ताकि, बीमारियों तथा कीटों के नुकसान से बचा जा सके।

उन्नत फसल के लिये सामान्यतय: 60-70 दिन में पकने वाली संस्तुत प्रजातियाँ सर्वोत्तम मानी जाती हैं। रोगराधी प्रजातियों का ही चुनाव चाहिए। वैज्ञानिकों के प्रयासों मूँग में इस प्रकार की अनेक प्रजातियाँ विकसित की जा सकी हैं जो शीघ्र पकने के साथ-साथ उपज भी अच्छी देती हैं।

सजावटी मछली पालन

गोल्ड फिश (कारासियस औराटस) साइप्रिनीडी परिवार के साइप्रिनीफोरमीस क्रम की मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है। यह सभी मछलियों में से सर्वप्रथम सबसे अधिक एक्वेरियम में पाली जाने वाली मछली है। गोल्ड फिश, कार्प परिवार की एक अपेक्षाकृत छोटी सदस्य है। इसमें कोई कार्प और क्रूसियान कार्प भी सम्मिलित हैं। यह कम रंगीन कार्प मछली का पालतू संस्करण है, जो कि पूर्व एशिया की मूल निवासी है। गोल्ड फिश पहली बार चीन में एक हजार वर्ष पूर्व से अधिक पहले एक्वेरियम में रखी गयी थी और इसे कई अलग-अलग नस्लों में विकसित किया गया। गोल्ड फिश की प्रजातियों के आकार में काफी विभिन्नता है। इन्हें शरीर के आकार,पंख विन्यास और रंग (सफेद, पीला, नारंगी, लाल, भूरा और काला) के विभिन्न संयोजन में जाना जाता है। कार्प मछली का सामान्यरूप से भूरे और चांदी रंगों की प्रजातियों से कुछ भिन्न रंगों जैसे लाल, नारंगी और पीले रंग की प्रजातियों का आनुवंशिक प्रजनन किया गया।

गोल्ड फिश ने सर्वप्रथम वर्ष 1850 के दौरान उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया और बहुत तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोकप्रिय भी हो गयी। वर्ष 1603 के दौरान गोल्ड फिश ने जापान में प्रवेश किया, जहां रूयुकिन और टोसाकिन की किस्में विकसित की गई। वर्ष 1611 में इसने पुर्तगाल में भी प्रवेश किया और वहां से यूरोप के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हो गयी। गोल्ड फिश की प्रजातियां सदियों से चयनात्मक प्रजनन से गोल्डन रंग से हटाकर कई रंगों और विभिन्न रूपों में विकसित की गई। इसके कुछ संस्करणों में से पंख, आंख विन्यास और अलग शरीर के आकार में भिन्नता पाई गई है। वर्तमान में चीन में इसकी 300 किस्मों की मान्यता प्राप्त नस्ल उपलब्ध हैं।

कॉमन गोल्ड फिश

इसे फिडर फिश के नाम से जाना जाता है। यह पालतू कार्प प्रजाति का एक रूप है और यह कई कार्प की प्रजातियों से मिलती-जुलती है। इसकी करीबी प्रजाति एशिया कार्प, सिर्फ रंग में अलग दिखती है। इसी प्रजाति से विभिन्न रंगों की अधिकांश किस्मों की नस्ल प्राप्त की गई। यह विभिन्न रंगों-लाल, नारंगी, सुनहरे, सफेद, काले, पीले या नीबू के रंग में पाई जाती है।

ब्लैक मूर

इसकी दूरबीन जैसी आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। यह देखने में एक फैंसी गोल्ड फिश की तरह दिखती है। इसको पॉडआई, दूरबीन, जापान में डेमेकीन और चीन में ड्रेगन आई के रूप में जाना जाता है।

बबल आई

इसमें पृष्ठीय पंख नहीं होते हैं। इनकी बुलबुले सरीखी आंख का रंग और आकार के लिए अच्छे नमूने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसकी बुलबुले जैसी आंख देखने में कमजोर दिखती है। इसे हलचल मचाने वाली मछली से दूर रखना तथा नुकीली सजावट की वस्तु से अलग रखना चाहिए। इसके बुलबुले की तरह की आंख को नुकीली वस्तु से नुकसान हो जाने की आशंका रहती है। किंतु बुलबुले जैसी आंख की हवा बाहर निकलने से ये पुनः विकसित हो जाती हैं। सेलीसटीयल आई यह सेलीसटीयल आई या छोटे गन (दो पूंछ) के नाम से जानी जाती है।

सेलीसटीयल आई

डबल टेल्ड प्रजाति की नस्ल है। इसकी दूरबीन जैसी आंखें आकाश की ओर निकली हुई दिखाई देती हैं। इस मछली में आंख जन्म के बाद सामान्य रूप से दिखती है। लेकिन 6 महीने के अंदर टेलिस्कोप की तरह धीरे-धीरे बाहर की ओर उभरने लगती है।

कॉमेट गोल्ड फिश

संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमेट फिश सबसे सामान्य फैंसी किस्म की प्रजाति पाई जाती है। यह सामान्य गोल्ड फिश की तरह दिखती है। सामान्य गोल्ड फिश से थोड़ी छोटी होती है और मुख्य रूप से अपनी लंबी गहरी कांटेदार पूंछ के द्वारा पहचानी जाती है।

फेनटेल गोल्ड फिश

इसका अंडे के आकार का शरीर, उच्च पृष्ठीय पंख, लंबे चैगुनी कॉडल पिफन और गर्दन के पास हुप नहीं होते हैं। इसका रंग धातु की तरह या नेक्रेसियस स्केल और दूरबीन की तरह आंख होती है। इसके पंख युर्किन से कम विकसित होते हैं। इसके दो एनल और पुंख, पंख के सहारे तैरने में सहायता करते हैं। एनल और कॉडल अच्छी तरह से दो समान हिस्से में विभाजित रहता है। आमतौर पर यह मछली साहसी मानी जाती है और कम पानी के तापमान में लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इन मछलियों को एक्वेरियम में रखने के लिए आदर्श तापमान 73-74 डिग्री पफौरैनहाइट की आवश्यकता होती है।

लायनहेड गोल्ड फिश

इस प्रजाति की मछली रंचू की तरह दिखती है। इसके सिर के ऊपर उभार जैसी आकृति बनी रहती है। इसका सिर गोल, गिल पूरी तरह से कवर किए हुआ रहता है। इसके अलावा दिखने में छोटा, लेकिन गहरा शरीर होता है। प्रायः अपेक्षाकृत सीधे और धनुषाकार की पीठ बिना पृष्ठीय पंख के रूप में दिखती है। इनके पंख सामान्य रूप से छोटे, पूंछ पूरी तरह से अलग या आंशिक रूप से अलग या झिल्लीदार होती है। इसके पूंछ कॉडल पेडोंकल, प्रायः शरीर के समानांतर मिलते हैं। कॉडल पेडोंकल देखने में चैड़े होते हैं,

जो खुलने के साथ ही तैरने में मदद करते हैं। इसके हुड का विकास भिन्न-भिन्न हो सकता है, लेकिन नर में अधिक स्पष्ट दिखता है। युवा अवस्था में सामान्य रूप से विकास होने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। परिपक्व नर के सिर में हेड ग्रोथ के ऊपर धब्बे जैसा दिखता है। इसकी 6 इंच (25 सें.मी.) पंखरहित तक वृद्धि होती है। इसके स्केल धातु के रंग, केक्रेसियस या मैटल की तरह होते हैं। ये नारंगी, लाल, सफेद, लाल और सफेद, नीले, काले और सफेद, काले और लाल, प्राकृतिक तथा चॉकलेट रंग में उपलब्ध होती हैं।

पर्ल स्केल

इस सजावटी मछली को पर्ल स्केल या जापानी में चिनशुरिन के नाम सेजाना जाता है। इसका शरीर गोलाकार फेनटेल की तरह पंख के साथ लगा होता है। इसके शरीर पर मोटी गुंबददार स्केल्स मोती की तरह दिखती है। इसका शरीर गोलाकार तथा गोल्फ बॉल की तरह दिखता है। पंख लंबे और छोटे भी हो सकते हैं। इसकी लंबाई 8 इंच और यह संतरे के आकार की होते हैं, जबकि स्विम, ब्लैंडर नहीं होने के कारण पानी में सामान्य स्थिति बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। विशेष रूप से चयनात्मक प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा शरीर का आकार पर्ल स्केल के रूप में विकसित होता है। चयनात्मक प्रजनन के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे स्विम ब्लैंडर विकसित होता है, जिससे इसे पिंग पोंग पर्ल स्केले के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान शरीर की गहराई, शरीर की लंबाई से 1/3 से अधिक होती है। स्केल गोलाकार छत/गुंबद आकार की होती है। एक पृष्ठीय पंख तथा अन्य सभी पंख जोड़े में रहते हैं। कॉडल पंख विभाजित, कांटेदार और क्षैतिज दिशा की ओर होते हैं। ये प्रायः पंख के आकार की होते हैं। शरीर की न्यूनतम लंबाई 5.5 सें.मी. या ढाई इंच होती है। इसका पूरा शरीर देखने में चमकीला और गुंबद की तरह स्केल प्रदर्शित करता है। शरीर छोटा और गोलाकार (लंबा नहीं) होता है। इसके कॉडल पंख ऊंचे और अच्छी तरह से विभाजित होते हैं। इस मछली के पंख में उच्च गुणवत्ता वाले रंग की तीव्रता होती है।

शुबनकिन्स

इसे जापान में शुबनकीन (लाल ब्रोकेड) के नाम से जानते हैं। नेक्रीयस स्केलस पैटर्न को केलिकों के नाम से जाना जाता है। यह देखने में कठोर, उकल पूंछ के साथ कैक्रियस स्केल सरीखी होती है। केलकों टेलीस्कोप आई और कॉमन गोल्ड फिश के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके इसे विकसित किया गया था। यह देखने में कॉमन गोल्ड फिश और कोमेट गोल्ड फिश के समान दिखती है। यह सर्वप्रथम जापान में विकसित की गयी थी। वर्ष 1900 में टेलीस्कोप आई गोल्ड फिश के उत्परिवर्तन से स्ट्रीम लाइन शरीर पंख के साथ विकसित किया गया। इसके पंख पर लाल, सफेद, नीले और काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। नीले रंग की सबसे ज्यादा कीमत है। केलिकों मूल रूप से तीन रंगों की किस्में प्रदर्शित करता है, जिसमें नीले रंग को शामिल नहीं किया गया है। सबसे अच्छी नीले रंग की शुबनकिन्स प्रजाति से लाइन प्रजनन के उत्पादन से होते हैं। कभी-कभी अच्छे नीले रंग की किस्म की प्राप्ति कांस्य, गुलाबी रंग का गोल्ड फिश के प्रजनन द्वारा होती है, जो देखने में भूरे रंग जैसा भी हो सकता है। युवा अवस्था में कैक्रियस का रंग विकसित करने के लिए कई महीने लगते हैं। इसकी लंबाई 9-18 इंच (23-41 सें.मी.) वयस्क काल तक होती है। यह 2 से 3 वर्ष में वयस्क हो जाती है।

इसकी विशेषता दूरबीन जैसी आंख या डेमेकिन की तरह आंखें बाहर की आरे निकली हुई होती हैं। इसे ग्लोब आई या ड्रैगन आई गोल्ड फिश के नाम से जाना जाता है। काले टेलीस्कोप में ठोस काला रंग, पांडा टेलीस्कोप में काले और सफेद रंग तथा सफेद टेलीस्कोप के रंग का एक संस्करण है। ये लाल, नारंगी और पीले रंग में उपलब्ध हैं। इसकी दूरबीन सरीखी खराब दृष्टि होने के कारण इसे अधिक सक्रिय गोल्ड फिश की किस्मों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसे एक्वेरियम में नुकीली वस्तुओं या तेज धार वाले वस्तुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। इससे आंख को नुकसान पहुंच सकता है।

पंडा मूर

ये काले और सफेद रंग की होती हैं। बाहर की ओर निकली हुई आंखों के कारण यह एक विशेष प्रकार की प्रजाति है। परिपक्वता अवस्था में देखने में मखमल जैसा शरीर लगता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ इसका मखमली शरीर रंग भी खोने लगता है। ये नारंगी और सफेद या किसी भी अन्य रंग के संयोजन में हो सकती हैं या वे बिल्कुल सफेद में बदल लेती हैं।

वेलटेल

इसकी अतिरिक्त लंबी, डबल पूंछ बहती हुई दिखती है। यह देखने में फेनटेल गोल्ड फिश की तरह लगती है, लेकिन गोलाकार शरीर और बहुत ही लंबे नाजुक पंख होते हैं। उनके दो कॉडल पंख और एनल पंख अच्छी तरह से अलग दिखते हैं। फेनटेल गोल्ड फिश में पृष्ठीय पंख सीधा रहता है, लेकिन वेलटेल गोल्ड फिश में यह काफी लंबा और ढाई इंच (6 सें.मी.) लंबा तक बढ़ सकता है। इसका गहरे और चैतरफा युर्किन के आकार का शरीर होता है। इसमें एक अच्छी तरह से विकसित पृष्ठीय पंख होता है। एनल फिन एक जोड़े कापफी अच्छी तरह से विकसित होते हैं। वेल टेल शब्द आमतौर पर एक लंबे कॉडल फिन के लिए जाना जाता है। ये कई रंगों में उपलब्ध हैं। इन्हें 8 से 12 इंच (20 से 30 सें.मी.) तक विकसित कर सकती हैं। ये अच्छी तरह से तैर नहीं सकते हैं, लेकिन अन्य गोल्ड फिश के साथ रख सकती हैं। वेल टेल 55 डिग्री फॉरेनहाइड (23 डिग्री सेल्सियस) से नीचे का तापमान स्वीकार करती है। इसकी लंबी पूंछ बहुत नाजुक और आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है। यह कम पानी के तापमान के लिए अतिसंवेदनशील होती है।

बटरफ्लाई टेल गोल्ड फिश

यह तितली जैसी पंख या तितली की तरह दिखती है। इनके साथ-साथ ऊपर जुड़वां पूंछ होती है। पूंछ का पंख प्रसार पानी के नीचे तितलियों जैसा लगता है। ऊपर से देखने पर तितली के आकार का कॉडल पंख के द्वारा प्रदर्शित करता है। इसकी पूंछ की संरचना को सामान्यतः टेलीस्कोप आई गोल्ड फिश में विकसित किया गया है। इसे बटरफ्लाई टेल टेलीस्कोप, बटरफ्लाई डिमिकीन, बटरफ्लाई टेल मूर और टॉप व्यू टेलेस्कोप के नाम से जाना जाता है। यह टेलिस्कोप गोल्ड फिश की प्रजाति है, जिसकी आंख बाहर की ओर सबसे अच्छा ऊपर देखने के द्वारा सराही जाती है। सामान्यतः इसकी पूंछ की भिन्नता टेलीस्कोप आई से अलग है। तितली की तरह का पंख युर्विफस या ओरंडा में भी मौजूद हो सकता है। पूंछ का प्रसार 180 डिग्री का कोण बनाता है।

नव नियुक्त पंजीयक का स्वागत एवं पंजीयक महोदय के पी.ए. की भावभीनी बिदाई

भोपाल। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें भोपाल में बहुत ही मार्मिक दृश्य था जब नव नियुक्त पंजीयक, श्री मनोज कुमार सरियाम जी का अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री एम.के. गुप्ता, अपेक्स यूनियन के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, श्री विमल श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त, श्री एच.एस. वाघेला, संयुक्त आयुक्त, श्रीमती कृति सक्सेना, संयुक्त आयुक्त, श्री संजय मोहन भटनागर, संयुक्त आयुक्त, श्री के.के. द्विवेदी संयुक्त आयुक्त, श्री आर.एस. विश्वपकर्मा, उपायुक्त, श्रीमती श्वेता रावत, उपायुक्त, श्रीमती तारा विशन्द्रे, सहायक आयुक्त द्वारा पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया तथा पंजीयक महोदय के पी.ए. श्री ए.पी. राजपूत को अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम अवसर पर नवनियुक्त पंजीयक महोदय ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से अन्य विभाग राजस्व, वसूली एवं अन्य कार्य करते है। सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी वहीं सब कार्य करते है। श्री आर.के. पाटील, सहायक आयुक्त द्वारा कार्यक्रम का सफलता पूर्वक संचालन किया गया। कार्यक्रम में कार्यालय आयुक्त सहकारिता के अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक, ग्रेड.1, ग्रेड.2, ग्रेड.3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों को 30 अप्रैल तक करें कम्प्युटरीकृत- कलेक्टर श्री शर्मा

खरगोन : प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कम्प्युटरीकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा टारगेट गो-लाईव मिशन (टीजीएलएम) 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। मिशन अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन से सम्बद्ध 182 सहकारी संस्थाओं का कम्प्युटरीकरण करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा 06 अप्रैल को खरगोन जिले की 128 सहकारी संस्थाओं में किए जा रहे कम्प्युटरीकरण कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति प्रबंधकों एवं कम्प्युटर आपरेटरों को निर्देशित किया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ 30 अप्रैल तक समितियों को गो-लाईव कर कम्प्युटरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। कलेक्टर श्री शर्मा ने सहकारिता विभाग एवं बैंक से तकनीकी रूप से दक्ष एक अधिकारी को सम्मिलित कर कम्प्युटरीकरण कार्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए दो सदस्यीय फ्लाईंग स्क्वाड़ का गठन करने के निर्देश दिए, जो पैक्स को इस कार्य के लिए क्षैत्र में भ्रमण कर सतत मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

बैठक में सहकारी बैंक सीईओ पीएस धनवाल के द्वारा योजना के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए कहा गया कि किसी भी समिति को यदि इस संबंध में कोई तकनीकी समस्याएं आती है तो टिकटिंग टूल पर अपनी समस्याओं को दर्ज करें एवं बैंक मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम प्रभारी अनिल कानूनगों से मो. न. 94259-29425 पर संपर्क कर समस्याओं से अवगत कराएं, ताकि उनका त्वरित निराकरण कराया जा सके। बैंक सीईओ द्वारा समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि ईआरपी ट्रायल रन पर समस्त डेटाओं की इंट्री अद्यतन करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि आवश्यक हो तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं पृथक से मानदेय पर ली जा सकती है।

समीक्षा बैठक में जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड विजेन्द्र पाटील के द्वारा भारत सरकार की पैक्स कम्प्युट्राईजेशन योजना के महत्व को बताते हुए अवगत कराया गया कि इस योजना का समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के स्तर से भी एक वार रूम बनाया गया है। जिसमें भी इस योजनांतर्गत कम्प्युटरीकरण में आ रही तकनीकी दिक्कतों का निराकरण कराया जा सकता है।

बैठक में विशेष रूप से सहायक आयुक्त, सहकारिता के. आर. अवासे, अतिशय कंपनी के जिला समन्वयक एवं बैंक के मास्टर ट्रेनर सहित पैक्स के समिति प्रबंधक/कम्प्युटर ऑपरेटर उपस्थित थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।